



**वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कौरबा क्षेत्र द्वारा कौरबा जिले के कौरबा वनमंडल के पाली परिक्षेत्र अंतर्गत बगदेवा भूमिगत कोयला खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि (ग्राम सिंघाली रकबा 27.669 हे., अमयपुर रकबा 9.513 हे. एवं जवाली रकबा 44.182 हे.) के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत फार्म-ई में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कौरबा क्षेत्र को बगदेवा भूमिगत कोयला खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के लिए अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ई-हस्ताक्षर अनुसार

स्थान: नवा रायपुर

Digitally signed by
SREENIVASA RAO VEMULA

Date: 22-04-2026

11/04/22 (श्री. श्रीनिवास राव)

प्र.नु.व.स एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

आरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/खनिज/ LAND-44/31/2025-FOREST HQ/463911

as per e-signature

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी सदन, अटल नगर

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:- कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा बगदेवा भूमिगत खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि (पाली परिक्षेत्र के ग्राम सिंघाली रकबा 27.669 हे., अभयपुर रकबा 9.513 हे. एवं जवाली रकबा 44.182 हे.) के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/MIN/ 60227/ 2020

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1063 दिनांक 02.04.2026

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है। आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र द्वारा बगदेवा भूमिगत कोयला खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि (पाली परिक्षेत्र के ग्राम सिंघाली रकबा 27.669 हे., अभयपुर रकबा 9.513 हे. एवं जवाली रकबा 44.182 हे.) उत्पादन क्षमता 0.76 एम.टी.पी.ए. के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव का ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को अनुशांसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया चेक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र.1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 08) - आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 81.364 हेक्टेयर (खसरा क्रमांक 180, 283, 249, 230, 104/1, 113/1, 4, 5, 6, 108/1, 104/8, 190/पी, 109/1, 107/1, 330/1, 8/1क) राजस्व वन के भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि की माँग न्यूनतम होने तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।

बि.क्र.2. प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 09)- आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 81.364 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्तावके लिए पंजीयन क्र. FP/CG/ MIN/ 60227/2020, दिनांक 13.12.2022 आर्बिटित किया गया है। पंजीयन शुल्क रु 6,000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु 46,000/- कुल राशि रु 52,000/- वनमण्डल कटघोरा में जमा किया गया है। DD की प्रति चेकलिस्ट क्रं 41 में संलग्न है।

बि.क्र.3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 10-11)-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु 81.364 हे. राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिए ग्राम सिंघाली, अभयपुर एवं जवाली की सम्मिलित राजस्व वनभूमि की सत्यापित प्रति संलग्न है।

- बि.क्र.4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12)– गैर वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।
- बि.क्र.5. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 13से 14)– प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50,000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।
- बि.क्र.6. वन क्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 16)– प्रस्तावित राजस्व वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप 1:15000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।
- बि.क्र.7. प्रपत्र 4 में प्रस्ताव (पृष्ठ 17 से 22)– आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 81.364 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिए प्रपत्र 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत राजस्व वन भूमि के लिए राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा -2 अंतर्गत मंजूरी/स्वीकृति लेने का प्रारूप की सत्यापित प्रति संलग्न है।
- बि.क्र.8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 24)– प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।
- बि.क्र.9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 25 से 26)– आवेदक संस्थान एसईसीएल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत भूमिगत खदान हेतु 81.364 हे.राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदित राजस्व वन भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए छत्तीसगढ़ शासन,वन विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली व्यय की राशि की भुगतान करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27)– व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28 से 32)– एस.ई.सी.एल कोरबा क्षेत्र के बगदेवा भूमिगत परियोजना (कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मिलियन टन प्रतिवर्ष को पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र क्रं-J-11015/1099/2007-IA-II(M) दिनांक 15.07.2009 को प्राप्त हुई है। पर्यावरण स्वीकृति की सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
- बि.क्र.12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 33)– बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.13. कास्ट/बेनिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 34)–कास्ट/ बेनिफिट ऐनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.14. चयनित गैर वनक्षेत्र/ निजी भूमि (पंचशाला खसरा, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 36)– चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वनभूमि का मज़मूली नक्शा का विवरण संलग्न है।
- बि.क्र.15. गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 38)– गैर वन क्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा संलग्न है।

- बि.क्र.16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(षासन द्वारा अनुमोदित दसो पर 25 वर्ष वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित) (प्रस्ताव पृष्ठ 39)— बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है, अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण लागू नहीं है।
- बि.क्र.17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 40)—बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है अतः वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र लागू नहीं है।
- बि.क्र.18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 42)— व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
- बि.क्र.19 अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण(प्रस्तावपृष्ठ 43)— अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।
- बि.क्र.20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 44)— व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।
- बि.क्र.21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 45 से 48)— वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 49)— कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 50)—रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.24 माईनिंग प्लान नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 51 से 243)— बगदेवा भूमिगत परियोजना का माईनिंग प्लान जो कि CMPDIL बिलासपुर (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा तैयार एवं कोल इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस द्वारा अनुमोदित है संलग्न है।
- बि.क्र.25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 244)— किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जा रहा है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.26 वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पद नाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 245 से 254)— वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित संलग्न है।
- बि.क्र.27 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण —पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 255)— प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 256 से 260)— संबंधित ग्राम—अभयपुर, सिंघाली एवं जवाली पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

- बि.क्र.29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 261)— कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत खुला वन भूमि 2050.901 वर्ग कि.मी. है।
- बि.क्र.30. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 262 से 263)— कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्वीकृत 32 प्रकरणों में 3886.608 हे. वन भूमि प्रभावित है।
- बि.क्र.31. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 264)— कोरबा जिले वनमंडल अंतर्गत इसी प्रकरण के केवल 10 प्रकरण स्वीकृत है जिसका रकबा 1152.484 हे. है।
- बि.क्र.32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव-पृष्ठ-265)— व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।
- बि.क्र.33. 15 कि.मी परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ-266 से 270) बगदेवा भूमिगत परियोजना, जिला कोरबा, वन मण्डल कटघोरा, वन क्षेत्र कटघोरा अंतर्गत प्रस्तावित 81.364 हे. राजस्व वन भूमि का 15 कि.मी. परिधि का नक्शा संलग्न है।
- बि.क्र.34. वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 271 से 275) —बगदेवा भूमिगत परियोजना हेतु प्रस्तावित 81.364 हे. वन भूमि का वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 276 से 278)— बगदेवा परियोजना हेतु प्रस्तावित 81.364 हे. वन भूमि का राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याषा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 279 से 280) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याषा मूल्य जमा करने का वचन बद्ध है।
- बि.क्र.37. CLEARANCE UNDER FC ACT, 1980 DEPOSITION OF FUNDS WITH THE AD-GOC CAMPA : REMITTANCES OF PRECEDE 2ND STAGE CLEARANCE (प्रस्ताव पृष्ठ 281 से 282)— वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत द्वितीय चरण स्वीकृति से पहले वन विभाग द्वारा जारी राशि कैम्पा में जमा करने हेतु वचन बद्ध है।
- बि.क्र.38. "A detailed note on soil productivity or the lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ 283)— एस.ई.सी.एल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत खदान परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

- बि.क्र.39. परियोजना में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 284) - वन विभाग से स्वीकृति मिलने के पूर्व परियोजना में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र.40. Diversion of large area (More than 500 HA) of forest land for mining and other non forestry purpose under the forest (Conservation) Act 1980 stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a vocational training institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 285) - व्यापवर्तन प्रस्ताव के लिए आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र.41. पंजीयन क्रमांक पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 286 से 287) - प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिए पंजीयन क्रमांक FP/CG/Min/60227/2020 दिनांक 13.12.2022 आबंटित किया गया है। पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।
- बि.क्र.42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 288 से 355) - एस.ई.सी.एल. बगदेवा भूमिगत परियोजना के लिये वन्य प्राणी परियोजना TFR1, Jabalpur द्वारा तैयार किया है (संलग्न)। वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत लेने हेतु वचनपत्र संलग्न है।
- बि.क्र.43. विद्युत लाइन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 356)
- बि.क्र.44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 357) - शासन द्वारा निर्धारित प्रतिरोपण शर्तों का पालन करने हेतु एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र, बगदेवा भूमिगत परियोजना वचनवद्ध है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं परिवेश 1.0 में पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग - 4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्रथम चरण स्वीकृति हेतु 02 प्रतियों में अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव 2 प्रतियों में मूलतः
(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
SUNIL KUMAR MISHRA अधिकारी
Date: 22-04-2026 मारी अ.प्र.मु.व.स.
13:12:38 (मु-प्र/व.सं. एवं. सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

पू.क्र०/मू-प्रबंध/खनिज/ LAND-44/31/2025-FOREST HQ/4639/2
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

as per e-signature

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।